बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09/आ0–03–10/2017 /स्वा0/पटना,दिनांक / डा0 ललिता सिन्हा, सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर सम्प्रति अपर निदेशक, संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना के विरूद्ध चिकित्सा केन्द्रो का औचक निरीक्षण कराने के उपरांत पाई गई अनियमितता बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु हैलोजन टेवलेट, ब्लीचिंग पाउडर, चूना और जिंक का टेवलेट का आवश्यकतानुसार क्रय नहीं किया गया और महत्वपूर्ण दवाओं बाढ़ की विभीषिका के दृष्टिगत की गई तैयारी असंतोषजनक पाई गई और अनुबंध में अन्तर्विष्ट आरोप में वर्णित घोर कदाचार और अवज्ञा, सरकार के आदेश के उल्लंघन के आरोप के लिए विभागीय संकल्प सं0 1033(9) दिनांक 6.10.2017 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम से असहमत होते हुए आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी से विभागीय पत्रांक 362(9) दिनांक 6.3.2019 के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गई।

3. आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारणपृच्छा के उत्तर में निम्नलिखित बाते कही गई है:–

i. वर्ष 2017 के सम्भावित वाढ़ एवं उससे उत्पन्न जलजनित वीमारियो की रोकथाम की आवश्यक तैयारियों के क्रय में आरोपित चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा दवाये भंडार में उपलब्ध नहीं थी, में से कुछ दवाओं की क्रमशः बी0 एम0 एस0 आई0 सी0 एल0 पटना को आपूर्ति करने हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया तथा कोटेशन के आधार पर हैलोजन टेवलेट, ब्लीचिंग पाउडर, चूना तथा जिंक टेबलेट का आवश्यकतानुसार क्रय कर सभी सम्भावित प्रभावित क्षेत्रो में उसका वितरण किया गयां साथ ही साथ वाढ़ प्रभावित क्षेत्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को हिदायत के साथ अतिआवश्यक दवाओं की व्यवस्था अपने स्तर से भी करने का निदेश दिया गया, ताकि आम जनता जलजनित बीमारी से प्रभावित न हो सके।

ii. लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो का प्रतिदिन मूल्यांकन किया जाता था, जिसकी सूचना जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर को दी जाती थी।

iii. जिलाधिकारी मुजफ्फरपुर महोदय के आलोक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के त्रुटि का अनुपालन करने का निदेश दिया गया।

4. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के निदेश के आलोक में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की समिति के द्वारा सदर अस्पताल का निरीक्षण कराया गया। जॉच दल द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु हैलोजन टेबलेट, जिंक टेबलेट, ब्लीचिंग पाउडर आदि का आवश्यकतानुसार क्रय नहीं किया। जिलापदाधिकारी ने इसे डा0 ललिता सिंह की लापरवाही मानते हुए विभाग को सूचना दी थी।

5. विभागीय स्तर पर सम्पूर्ण मामले की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा लापरवाही बरती गई है

6. डा0 सिंह के द्वितीय कारणपृच्छा से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया। अस्तु निम्न दंड देते हुए सक्षम प्राधिकार द्वारा विभागीय कार्यवाही को निष्पादित करने का निर्णय लिया है:—

(क) संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक।

(ख) "निन्दन"

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/—
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 783 (9) /स्वा0, पटना , दिनांकः 23/7/2019

प्रतिलिपिः— महालेखाकार (ले एवं0 ह0) बिहार पटना / प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै0 दा0 नि0 को0) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— क्षेत्रीय अपर—निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/पटना/ सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक प्रेषित।

प्रतिलिपिः— माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— डा0 ललिता सिन्हा, सिविल सर्जन मुजफ्फरपुर सम्प्रति अपर निदेशक, संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— प्रशाखा पदाधिकारी 2, 3, एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

22/07/19

सरकार के अवर सचिव